रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2008/वैशाख 17, 1930
No. 248] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2008/VAISAKHA 17, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2008

सा.का.नि. 344(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तृतीय संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,-

(i) अनुसूची-I के क्रम संख्या 23 में, "सल्फ्यूरिक अम्ल" (सल्फर डाइऑक्साइड और अम्ल मिस्ट का उत्सर्जन) से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र.सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक		
	1	2	3	4	
"23.	सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र		संकेन्द्रण मि. ग्रा/घन मीटर से अधिक न हो, जब तक उल्लिखित न हो । सल्फ्यूरिक अम्ल (टन/दिन) के 100% संकेन्द्रण के लिए		
			संयंत्र क्षमता	विद्यमान इकाई	नई इकाई
				ए. उत्सर्जन मानक	
		सल्फर डाइआक्साईड (SO_2)	300 तक	1370	1250
			300 से ऊपर	1250	950
		अम्ल मिस्ट/सल्फर ट्राइऑक्साइड	300 तक	90	70
			300 से ऊपर	70	50

टिप्पणियाँ:—

(i) स्क्रूबिंग इकाईयों में ऑटो-रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ ऑन-लाईन पी.एच मीटर अवश्य हो ।

(ii) सल्फर-डाईऑक्साइड या अम्ल मिस्ट के उत्सर्जन हेतु चिमनी की न्यूनतम ऊँचाई 30 मीटर हो या फार्मूला एच = 14.0 (क्यू)$^{(0.3)}$ (जो भी अधिक हो) के अनुसार होगा।

जहां चिमनी की ऊँचाई "एच" मीटर में है: और जहां "क्यू", गैसीय उत्सर्जन के मानदंडों के अनुसार

1	2	3	4

परिकलित की गई और संयंत्रों की 110 प्रतिशत दर क्षमता पर चिमनी के माध्यम से संभावित उत्सर्जित SO_2 की अधिकतम मात्रा है ।

(iii) एक स्थल पर सल्फ्यूरिक अम्ल की एक से अधिक धारा अथवा इकाई संयंत्रों में सभी धाराओं और इकाईयों की संयुक्त क्षमता को आधार मानकर चिमनी की ऊँचाई निर्धारित करने और उत्सर्जन मानकों के अनुप्रयोग हेतु विचार किया जाएगा ।

(iv) स्क्रूबिंग इकाई के लिए गैसीय उत्सर्जन हेतु पृथक चिमनी वाले संयंत्रों में, इस चिमनी की ऊँचाई, मुख्य चिमनी की ऊँचाई के समान होगी ।

(ii) अनुसूची VI के भाग घ के पैरा III में, क्रम सं. 4 पर भार/मात्रा आधारित मानक से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक		
			कि. ग्रा./टन में प्रमात्रा सीमा		
			सल्फ्यूरिक अम्ल (टन/दिन) के 100% संकेन्द्रण के लिए संयंत्र क्षमता	मौजूदा इकाई	नई इकाई
"4.	सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र	सल्फर डाइआक्साईड (SO_2)	300 तक	2.5	2.0
			300 से ऊपर	2.0	1.5"

[फा.सं.क्यू-15017/29/2007-सीपी डब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. का.आ. 433 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, सं. का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, सं. का.आ. 3(अ), तारीख 3 जनवरी, 1989, सं. का.आ. 190(अ), तारीख 15 मार्च, 1989, सा. का.नि. 913(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 1989, सं. का.आ. 12(अ), तारीख 8 जनवरी, 1990, सा. का. नि. 742 (अ), तारीख 30 अगस्त, 1990, सं.का.आ. 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93(अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि 95 (अ), तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475 (अ), तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1992 सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 19 मई, 1993, सा.का.नि., 801 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 1997, सा.का.नि. 504(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा.का.नि 7 (अ), तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682(अ), तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. 742(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72(अ), तारीख 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54(अ), तारीख 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371(अ), तारीख 17 मई 2002, सा.का.नि. 489(अ), तारीख 9 जुलाई, 2002, सं.का.आ. 1088(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और सा.का.नि. 849(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि 520(अ), तारीख 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92(अ), तारीख 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 448(अ), तारीख 12 जुलाई, 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि. 520(अ), तारीख 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272(अ), तारीख 5 मई, 2005, सा.का.नि. 315(अ), तारीख 16 मई, 2005, सा.का.नि. 546(अ), तारीख 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 46(अ), तारीख 3 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 7 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 566(अ), तारीख 29 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 704(अ), तारीख 12 नवंबर, 2007, सा.का.नि. 186(अ), तारीख 18 मार्च, 2008 और सा.का.नि. 280(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008 के द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2008

G.S.R. 344(E)—. In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2008.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,—
 (i) in Schedule I, at serial number 23, relating to "Sulphuric Acid (Emission of Sulphur Dioxide and Acid Mist)" for the existing entries, the following shall be substituted, namely:—

S. No.	Industry	Parameter	Standard		
1	2	3	4		
"23.	Sulphuric Acid Plant		**Emission standards** Limiting concentration in mg/Nm3, unless stated		
			Plant capacity for 100% concentration of Sulphuric Acid (tonne/day)	Existing Unit	New Unit
		Sulphur dioxide (SO_2)	up to 300	1370	1250
			Above 300	1250	950
		Acid Mist/Sulphur Trioxide	Up to 300	90	70
			Above 300	70	50

Note:

(i) Scrubbing units shall have on-line pH meters with auto recording facility.

(ii) The height of the stack emitting sulphur-dioxide or acid mist shall be of minimum of 30 metre or as per the formula $H = 14 (Q)^{(03)}$ (whichever is more).
Where "H" is the height of stack in metre; and "Q" is the maximum quantity of SO_2 expected to be emitted through the stack at 110 per cent rated capacity of the plants and calculated as per the norms of gaseous emission.

(iii) Plants having more than one stream or unit of sulphuric acid at one location, the combined capacity of all the streams and units shall be taken into consideration for determining the stack height and applicability of emission standards.

(iv) Plants having separate stack for gaseous emission for the scrubbing unit, the height of this stack shall be equal to main stack." ;

(ii) in Schedule VI, in part-D, in para III relating to Load/Mass Based Standards, in serial number 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:

S. No.	Industry	Parameter	Standard		
			Quantum Limit in kg/tonne		
			Plant capacity for 100% concentration of Sulphuric Acid (tonne/day)	Existing Unit	New Unit
"4.	Sulphuric Acid Plant	Sulphur dioxide (SO_2)	Up to 300	2.5	2.0
			Above 300	2.0	1.5".

[F.No. Q-15017/29/2007-CPW]
R.K. VAISH, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844 (E),dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* S.O. 433 (E) dated 18th April, 1987, S.O. 64 (E) dated 18th January, 1988, S.O. 3 (E) dated the 3rd January, 1989, S.O. 190 (E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742 (E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23 (E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93 (E) dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95 (E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329 (E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475 (E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797 (E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386 (E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422 (E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801 (E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176 (E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631 (E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504 (E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7 (E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682 (E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742 (E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72 (E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54 (E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371 (E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489 (E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088 (E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849 (E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520 (E) dated 1st July, 2003, G.S.R. 92 (E) dated the 29th January, 2004, G.S.R. 448 (E) dated the 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520 (E) dated the 12th August, 2004, G.S.R. 272 (E) dated the 5th May, 2005, G.S.R. 315 (E) dated the 16th May, 2005, G.S.R. 546 (E) dated the 30th August, 2005, G.S.R. 46 (E) dated the 3rd February, 2006, G.S.R. 464 (E) dated the 7th August, 2006 , G.S.R. 566 (E) dated the 29th August, 2007, G.S.R. 704 (E) dated the 12th November, 2007, G.S.R. 186 (E) dated the 18th March 2008 and G.S.R. 280 (E), dated the 11th April, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.